रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 438] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 1990/श्रावण 10, 1912
No. 438] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 1990/SRAVANA 10, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1990

का.आ. 607 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 7 के साथ पठित धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (दो रुपए का सिक्का जिसमें 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल होगा, का मानक वजन और उपचार) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अनुज्ञात मानक वजन और उपचार.— सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन ढलित निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और ऐसे सिक्के के निर्माण में अनुज्ञात उपचार वैसा होगा जैसा नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट है:—

सारणी

सिक्के का अंकित मूल्य	मानक वजन	उपचार अनुज्ञात	
		संरचना में	मानक वजन में
दो रुपया	8 ग्राम	तांबे और निकल दोनों के लिए 1/100 वां भाग धन या ऋण, अर्थात् तांबे की मात्रा में 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत का और निकल की मात्रा में 24 प्रतिशत से 26 प्रतिशत का अन्तर हो सकता है।	1/40वां भाग धन या ऋण, अर्थात् वजन में 8.20 ग्राम से 7.80 ग्राम का अन्तर हो सकता है।

[फा. सं. 1/32/86-सिक्का-II (1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th July, 1990

S.O. 607(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 read with section 7 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Coinage (Standard Weight and Remedy of the Coins of Two Rupees containing Copper 75% and Nicle 25%) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Standard weight and remedy allowed.—The standard weight of the coins of the following denomination coined under the provisions of section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), and the remedy allowed in the making of such coins shall be as specified in the Table below :—

TABLE

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In Standard weight
1	2	3	4
Two Rupees	8 grames	1/100th plus or minus both for Copper and Nickel, that is to say, Copper could vary from 74% to 76% and Nickel from 24% to 26%.	1/40 thplus or minus, that is to say, the weight could vary from 8.20 grammes to 7.80 grammes.

[F. No. 1/32/86-Coin II-(1)]

का.आ. 608 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अवधारित करती है कि:—

(क) केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाने के लिए दो रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों का भी टकसाल में निर्माण किया जाएगा।

(ख) उपरोक्त मूल्य वर्ग के सिक्के निम्नलिखित विभा, डिजाइन और धातु संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:—

सिक्के का वर्ग मूल्य	विभा और बाहरी व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
दो रुपया	वृत्ताकार 28 मिलीमीटर	200 (सुरक्षा कोर)	तांबा-निकल तांबा—75 प्रतिशत निकल—25 प्रतिशत

डिजाइन :

मुख्य भाग:—सिक्के के इस भाग पर अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" संकेतिका अंकित होगी और ऊपरी बाईं परिधि में "भारत" शब्द और ऊपरी दाईं परिधि में "इंडिया" शब्द पार्श्व में अंकित होगा। इसके पार्श्व में बाईं निचली परिधि में रुपए शब्द और दाईं निचली परिधि में "RUPEES" शब्द के साथ अन्तर्राष्ट्रीय अंक "2" अंकित मूल्य भी अंकित होगा। उक्त ब्यौरा एक अष्टभुजीय घेरे में होगा।

पृष्ठ भाग:—सिक्के के इस भाग पर, ऊपरी परिधि के पार्श्व में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ "राष्ट्रीय एकता" उत्कीर्ण लेख और दाईं परिधि पर "NATIONAL INTEGRATION" उत्कीर्ण लेख के साथ भारत का मानचित्र अंकित होगा। भारत के मानचित्र के नीचे सिक्के की निम्न दाईं परिधि पर, सिक्के का निर्माण वर्ष दर्शित होगा। उक्त ब्यौरा एक अष्टभुजीय घेरे में होगा।

सुरक्षा कोर:—सिक्के का किनारा दंतुरित या खड़ी रेखोत्कीर्ण और सुरक्षा कोर के साथ रेखोत्कीर्ण किया जाएगा। किनारे के बीच में खाली स्थान द्वारा पृथक किए गए इसके दो सैक्शनों के भीतर डिजाइन के साथ एक उथला खांचा होगा। डिजाइन उभार में दांतों की शृंखला के रूप में होगी और प्रत्येक दांते के बाद उभार में दो उच्चाधर लाइनें होंगी।

[फा. सं. 1/32/86-सिक्का-II (2)]

जी.एस. ग्रेवाल, विशेष अधिकारी (मुद्रा एवं सिक्का)

S.O. 608(E).- In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that :—

(a) coins of the denomination of Two Rupees shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government.

(b) coins of the above denomination shall conform to the following dimension, design and metal composition, namely :—

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal Composition	
Two Rupees	Circular 28 milimeters	200 (security edged)	Cupro-Nickel	
			Copper	75%
			Nickel	25%

Design :—

Obverse .—This face of the coin shall bear the Loin Capital of Ashoka Pillar with legend "सत्यमेव जयते" inscribed below flanked on the left upper periphery with the word "भारत" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "2" in international numeral flanked on the left lower periphery with the word "रुपये" and on the right lower periphery with the word "RUPEES". The said details shall be encircled in an octogen.

Reverse .—This face of the coin shall bear the map of India with National Flag of India flanked on the upper periphery with the inscription "राष्ट्रीय एकता" and on the right periphery with the inscription "NATIONAL INTEGRATION". The year of the Coinage shall appear below the map of India on the lower right periphery of the coin. The said details shall be encircled in an octogen.

Security edging .—The edge of the coin shall be milled with a serrated or upright milling and security edging. In the centre of the edge there shall be a shallow groove with a design inside its two sections separated by black sapces. The design shall consist of chain of beads in relief and each bead being followed by two vertical lines in relief.

[F. No. 1/32/96-Coin II-(2)]

G.S. GREWAL, Special Officer
(Currency & Coinage)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990